

मुकदमों का विवरण

हरिप्रसाद @किशन साहू बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य

(2012 की आपराधिक अपील सं. 1182) नवंबर 07, 2023

[बेला एम. त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्दे: क्या एफ. आई. आर. दर्ज करने में लगभग एक वर्ष से अधिक की देरी को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक कहा जा सकता है; क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित किया कि मृतक की मृत्यु जहर देने के कारण हुई थी और अपीलार्थी-आरोपी ने शराब में जहर पिलाया और मृतक को उसकी मृत्यु की पिछली तारीख को पीने के लिए मजबूर किया था।

दंड संहिता, **1860 -s.302**-जहर देकर हत्या का आरोप-एफ़. आई. आर. दर्ज करने में देरी-जब घातक न हो:

आयोजित किया गया: एफ़. आई. आर. केवल सबूत का एक पुष्टिकारक टुकड़ा है और सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है, एफ़. आई. आर. दर्ज करने में केवल देरी को अभियोजन के मामले के प्रतिकूल आधार नहीं माना जा सकता है-वर्तमान मामले में, हालाँकि एफ़. आई. आर. अपीलार्थी के खिलाफ एफ़. आई. डी. 1 पर दर्ज की गई थी, जो एफ़. आई. डी. 2 पर हुई घटना के संबंध में थी, जाँच का एक हिस्सा पहले ही मृतक की मृत्यु पर शुरू हो चुका था और एफ़. आई. आर. न.43/03 – अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्टीकरण कि मृत्यु का कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर द्वारा नहीं कहा गया था और रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट का इंतजार किया गया था, उचित और स्वीकार्य प्रतीत होता है-यह एफएसएल द्वारा भेजी गई रासायनिक जांच की रिपोर्ट थी, एक साल के बाद, जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई-इस प्रकार, पूरी देरी के लिए एफएसएल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसने मृतक के विसरा की रासायनिक जांच की रिपोर्ट देने में लगभग एक साल का समय लिया-किसी भी गवाह या पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने या प्राथमिकी दर्ज करने में देरी करने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था-इसके अलावा, तथ्यों पर, कम सबूतों को ध्यान में रखते हुए।

यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि अभियोजन पक्ष ने जहर देकर हत्या के आरोप के मामले में चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को साबित कर दिया था-आरोपी का स्पष्ट उद्देश्य मृतक को जहर

देना था; मृतक की मौत जहर देने से हुई थी; आरोपी के पास जहर था और आरोपी को मृतक को जहर देने का अवसर था-निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ उसकी दोषसिद्धि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया था।³⁰² खारिज कर दिया-दोषसिद्धि का निर्णय और निचली अदालत द्वारा पारित सजा का आदेश, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, खारिज कर दिया गया-अपीलार्थी को बरी कर दिया गया।[पैरा 17,18,26 और 28]

साक्ष्य अधिनियम, **1872** -धारा **32**-मृत्यु घोषणा:

आयोजित किया गया:यद्यपि एक व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान जो मर रहा है, उसे सुनी-सुनाई बातों के नियम के लिए अपवाद बनाया गया है और यू/एस द्वारा साक्ष्य में स्वीकार्य बनाया गया है।³² – केवल इस तरह की मृत्यु घोषणा पर भरोसा करते हुए दोषसिद्धि को आधार बनाना विवेकपूर्ण नहीं होगा-तत्काल मामले में, भले ही मृतक की तथाकथित मृत्यु घोषणा पर विश्वास किया जाए, अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि मृतक ने 'आईडी1' पर 'एचआर' और अन्य के साथ शराब का सेवन किया था, और शराब के तीसरे गिलास में, 'एचआर' ने कुछ जड़ी-बूटियों को मिलाया था, और मृतक को पीने के लिए कहा था-यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि 'एचआर' द्वारा कथित रूप से किस प्रकार की जड़ी-बूटी को मिलाया गया था, और क्या ऐसी जड़ी-बूटी जहरीली थी या नहीं-सीनियर साइंटिफ़ी सी ऑफ़ि सेर, एफएसएल (एक्स। पी/14) ने कहा कि मृतक के विसरा में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक और क्विनोल्फोस थे-हालांकि, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक और क्विनोल्फोस को जहरीले पदार्थ माना जाता है, फिर भी न्यायालय को व्यक्तिगत ज्ञान का आरोप लगाने में नफरत होगी और यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि मृतक के विसरा में पाए गए ऐसे जहरीले पदार्थ मृतक की मृत्यु का कारण थे, विशेष रूप से जब रासायनिक विश्लेषक की उक्त राय मृतक के विसरा को एफएसएल भेजने के एक साल से अधिक समय बाद प्राप्त हुई थी-किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से प्राप्त अंतिम राय के अभाव में, मृत्यु के कारण के रूप में रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट पर, यह नहीं कहा जा सकता था कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित किया था कि[पैरा 24]

साक्ष्य-एफ़. आई. आर.-तुरंत दर्ज करना-उद्देश्य:

आयोजित किया गया:आपराधिक मामले में एफ. आई. आर. मुकदमे के दौरान पेश किए गए मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करने के उद्देश्य से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है। अनापत्ति आयोग के संबंध में पुलिस को शीघ्र रिपोर्ट दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य है

/

जिन परिस्थितियों में अपराध किया गया था, वास्तविक अपराधियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ-साथ घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों के नाम के बारे में जल्दी जानकारी प्राप्त करें-हालाँकि, पुलिस द्वारा सूचना रिपोर्ट की प्राप्ति और रिकॉर्डिंग एक आपराधिक जांच शुरू करने की पूर्व शर्त नहीं है-प्रथम सूचना रिपोर्ट यू/एस।154, Cr.PC को सबूत के एक ठोस टुकड़े के रूप में नहीं माना जा सकता है-इसका उपयोग केवल न्यायालय में सूचना देने वाले के सबूत की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.154।[पैरा 9]

आपराधिक विधि -एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी, अपने आप में अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है:

आयोजित किया गया:एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी को अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता है, न ही इसे अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक माना जा सकता है-न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देरी के कारणों का पता लगाना होगा-यदि कारण एक संस्करण बनाने के लिए किसी भी प्रभाव या प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो केवल देरी ही अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी।[पैरा 10]

भारत का संविधान-अनुच्छेद **136**-निम्न न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष-अनुच्छेद **136** के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग:

आयोजित किया गया:विशेष रूप से अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करते समय, इस न्यायालय को साक्ष्य की पुनः सराहना करने और नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निर्णयों को बाधित करने में धीमी गति से काम करना चाहिए, हालाँकि अधिकार क्षेत्र का ऐसा प्रयोग निषिद्ध नहीं है, जब न्यायालय यह मानता है कि इस तरह के निर्णय पूर्व-प्रत्यक्ष दंड से जुड़े हैं।[पैरा 27]

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस. सी. सी. 116:[1984] 4 एस. सी. आर. 88; रविंदर कुमार और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य

2001 (7) एससीसी 690:[2001] 7 एस. सी. आर. 463-निर्भर।

थुलिया काली बनाम। तमिलनाडु राज्य 1972 (3) एस. सी. सी. 393:[1972] 3 एस. सी. आर. 622; एग्रन जोसेफ उर्फ वर्तमान कुंजुकुंजू और ओरसा बनाम केरल राज्य

1973 (3) एससीसी 114:[1973] 2 एस. सी. आर. 16-संदर्भित।

राजा सम्राट बनाम ख्वाजा नजीर अहमद ए. आई. आर 1945 पी. सी. 18 -

संदर्भित किया गया।

हरिप्रसाद @किशन साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 218

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता :2012 की आपराधिक अपील No.1182।

2006 के सी. आर. एल. ए. No.324 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.02.2011 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

राजेश पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिषेक पांडे, महेश पांडे, सुश्री निशी प्रभा सिंह, सुश्री मृदुला रे भारद्वाज, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। सुश्री स्मिता सिंह, गौतम नारायण, हर्षित गोयल, सिद्धांत सिंह, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. अपीलार्थी-अभियुक्त ने वर्तमान अपील के माध्यम से 2006 की आपराधिक अपील में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित 09.02.2011 के निर्णय और आदेश पर हमला किया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने 2005 के विशेष आपराधिक मामले No.19 में विशेष न्यायाधीश, (अत्याचार), बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (इसके बाद 'ट्रायल कोर्ट' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित 09.03.2006 के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को स्वीकार किया है। उक्त मामले में विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता-अभियुक्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (5) के अंतर्गत आरोप से बरी करते हुए (जिसे इसके बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है), उसे भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और एक साल के लिए कठोर कारावास से गुजरने के लिए 1,000/- रुपये का जुर्माना दिया था।

2. अभियोजन पक्ष का मामला जैसा कि इसके द्वारा सामने आया था कि 22.07.2003 पर, शाम के घंटों के दौरान, बिसाहु सिंह (मृतक) जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गया था, हालांकि वह रात में वापस नहीं आया। अगला।

/

[2023] 14 एस सी आर।

एक दिन सुबह उनकी पत्नी गणेशी बाई ने उन्हें अपने घर के बरामदे में अर्ध-बेहोश अवस्था में पड़ा देखा। उस समय उसके मुँह से कुछ घरघराहट की आवाज़ और शराब की तीखी गंध

आ रही थी। गणेशी बाई और उनकी बेटी अनीता ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन अपने अस्पष्ट भाषण में, वह यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि जब वह जंगल जा रहे थे, तो हरिप्रसाद (अपीलकर्ता-आरोपी) ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और उन्हें दो गिलास शराब पिलाई और उसके बाद हरिप्रसाद ने शराब के तीसरे गिलास में कुछ जड़ी-बूटी (जड़ी बूटी) मिलाई, और उन्हें तीसरा गिलास पिलाया। गणेशी बाई ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें सी. आई. एम. एस. बिलासपुर ले गई, क्योंकि बिसाहु सिंह की तबीयत बिगड़ रही थी। उपचार के दौरान, बिसाहु सिंह की मृत्यु 23.07.2003 पर लगभग 03.30 शाम को हो गई। मृत्यु की सूचना पुलिस और मार्ग-सूचना (Ex. पी/4) तैयार था। बिसाहु सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए सी. आई. एम. एस. बिलासपुर भेज दिया गया। डॉ. ए. के. शुक्ला ने 24.07.2003 पर पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Ex. पी/13) निम्नानुसार:-

“विसरा के रासायनिक परीक्षण के बाद मृत्यु का कारण तय किया जा सकता है।”

3. रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद (उदा. पी/14), एफ. आई. आर. 03.11.2004 पर दर्ज की गई थी। (Ex. पी/11)

4. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने उन्नीस गवाहों से पूछताछ की और दस्तावेजी साक्ष्य का नेतृत्व किया। अपीलार्थी-अभियुक्त, जिनसे आई. डी. 1 दंड प्रक्रिया संहिता 313 के अंतर्गत पूछताछ की गई थी, ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और निर्दोष होने का अनुरोध किया। उन्होंने डी. डब्ल्यू.-1 परदेसी राम गोंड से भी पूछताछ की, जिन्होंने अपदस्थ किया था कि 19.07.2003 से 23.07.2003 तक अपीलार्थी रायपुर में उनके घर में था। विचारण न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने के बाद, अपीलार्थी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर कहा गया है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस पर भारी निर्भरता रखते हुए

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य **1** का निर्णय प्रस्तुत किया गया

कि जहर के कारण कथित मृत्यु के मामले में, अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता थी कि मृतक को जहर देने का आरोपी का स्पष्ट उद्देश्य था; कि आरोपी के पास जहर था और उसे मृतक को जहर देने का अवसर मिला था।

1 (1984) 4 एस. सी. सी. 116 219

हरिप्रसाद @किशन साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 220

हालाँकि, तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा इनमें से कोई भी परिस्थिति साबित नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि एफ़. आई. आर. में एक साल की भारी देरी हुई थी, जितनी कथित घटना एफ़. आई. डी. 1 पर हुई थी, हालाँकि एफ़. आई. आर. एक साल से अधिक समय के बाद एफ़. आई. डी. 2 पर दर्ज की गई थी। परिवार के सदस्यों के सामने मृतक की

तथाकथित मृत्यु घोषणाएं विश्वसनीय नहीं थीं। सबसे महत्वपूर्ण अपराध साबित करने वाला साक्ष्य अर्थात् एफ. एस. एल. रिपोर्ट (उदा. पी/14) को अपीलार्थी के ध्यान में नहीं लाया गया था जब उससे आई. डी. 1 दंड प्रक्रिया संहिता 313 के अंतर्गत पूछताछ की गई थी। उसके अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई पूरी कहानी न केवल अत्यधिक असंभव थी, बल्कि उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई थी।

6. तथापि, प्रत्यर्थी राज्य के विद्वत वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने अपीलार्थी के खिलाफ धारा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्धि के निर्णय को दर्ज किया है और तदनुसार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त करने में हुई देरी ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी की थी, जिसका स्पष्टीकरण निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी स्वीकार किया गया है, और इसलिए इसे अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं माना जाना चाहिए, विशेष रूप से जब सभी गवाहों ने अभियोजन के मामले का विधिवत समर्थन किया था।

7. पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए और अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को अच्छी तरह से देखने के बाद, हमारी राय में इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए तीन व्यापक प्रश्न उत्पन्न होते हैं:

- (i) क्या एफ. आई. आर. दर्ज करने में लगभग एक वर्ष से अधिक की देरी को अभियोजन के मामले के लिए घातक कहा जा सकता है?
- ((ii) क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित किया था कि मृतक की मृत्यु जहर देने के कारण हुई थी?
- ((iii) क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित किया था कि अपीलार्थी अभियुक्त ने शराब में जहर पिलाया था और मृतक को उसकी मृत्यु की पिछली तारीख को 22.07.2003 पर पीने के लिए कहा था?

/

[2023] 14 एस सी आर।

8. जहाँ तक एफ़. आई. आर. दर्ज करने में हुई देरी के संबंध में पहला मुद्दा है, यह विवादित नहीं है कि हालाँकि प्रश्न घटना एफ़. आई. डी. 2 पर हुई थी और मृतक बिसाहु सिंह एफ़. आई. आर. (एफ़. आई. आर.) एफ़. आई. डी. 1 पर समाप्त हो गया था। पी/11) एक वर्ष से अधिक समय के बाद यानी <आई. डी. 1 पर अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाते हुए दर्ज किया गया था।

9. यह नहीं कहा जा सकता है कि आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमे के दौरान पेश किए गए मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करने के उद्देश्य से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है। अपराध करने के संबंध में पुलिस को शीघ्र रिपोर्ट दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियों के बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त करना है जिनमें अपराध किया गया था, वास्तविक दोषियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ-साथ घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों के नाम। यह भी एक समान रूप से स्थापित कानूनी स्थिति है कि पुलिस द्वारा सूचना रिपोर्ट की प्राप्ति और रिकॉर्डिंग एक आपराधिक जांच को गति देने के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती नहीं है। Cr.PC की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट को सबूत के एक ठोस टुकड़े के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसका उपयोग केवल न्यायालय में सूचना देने वाले के साक्ष्य की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, एफ. आई. आर. बहुत उपयोगी है यदि अलंकरण करने के लिए समय और अवसर से पहले दर्ज किया जाता है, या सूचना देने वाले की स्मृति समाप्त होने से पहले। इसलिए, एफ. आई. आर. दर्ज करने में अनुचित या अनुचित देरी संदेह को जन्म दे सकती है जो न्यायालय को संभावित उद्देश्य और देरी के लिए स्पष्टीकरण की तलाश करने और अभियोजन पक्ष के संस्करण की विश्वसनीयता या अन्यथा पर इसके प्रभाव पर विचार करने के लिए तैयार करती है।

10. बेशक, एक प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को अभियोजन मामले के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता है, और न ही इसे अभियोजन के मामले के लिए घातक माना जा सकता है। न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देरी के कारणों का पता लगाना होगा। यदि कारण किसी भी प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं

2 थुलिया काली बनाम। तमिलनाडु राज्य; 1972 (3) एस. सी. सी. 393 3 राजा सम्राट बनाम ख्वाजा नजीर अहमद; ए. आई. आर. 1945 पी. सी. 18

4 एग्रन जोसेफ उर्फ वर्तमान कुंजुकुंजू और ओआरएस। बनाम केरल राज्य; 1973 (3) एस. सी. सी. 114 221

हरिप्रसाद @किशन साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 222

एक संस्करण गढ़ने के लिए, केवल देरी अपने आप में अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं होगी।

11. रविंदर कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य 5 में, यह किया गया है

मान लिया कि:- “13. एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी के आधार पर अभियोजन मामलों पर हमला आपराधिक मामलों में एक रूढ़िवादी अतिरेक के रूप में लगभग अटक गया है। अधिकांश आपराधिक मामलों में यह एक आवर्ती विशेषता है कि पुलिस को पहली जानकारी देने में कुछ देरी होगी। यह याद रखना होगा कि विधि ने प्राथमिकी दर्ज करने के

लिए किसी भी समय की अनुमति नहीं दी है। इसलिए विलंबित एफ. आई. आर. अवैध नहीं है। निश्चित रूप से त्वरित और तत्काल प्राथमिकी दर्ज करना आदर्श है क्योंकि इससे अभियोजन पक्ष को दोहरा लाभ मिलेगा। पहला यह है कि यह बिना किसी समय अंतराल के जांच शुरू करने का आदेश देता है। दूसरा यह है कि यह एक गलत संस्करण के किसी भी संभावित मिश्रण के अवसर को समाप्त कर देता है। तुरंत दर्ज की गई एफ. आई. आर. के लिए इन दो प्लस बिंदुओं को छोड़कर विलंबित एफ. आई. आर. के दोष किसी भी अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं हो सकते हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि तुरंत दर्ज की गई प्राथमिकी भी उसमें शामिल संस्करण की वास्तविकता के लिए एक अनारक्षित गारंटी नहीं है।¹⁴ जब इस आधार पर आलोचना की जाती है कि किसी मामले में एफ. आई. आर. में देरी हुई थी, तो न्यायालय को यह देखना होता है कि इतनी देरी क्यों हुई। एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी होने के कई वास्तविक कारण हो सकते हैं। ग्रामीण लोग बिना किसी समय के पुलिस को अपराध के बारे में सूचित करने की आवश्यकता से अनजान हो सकते हैं। शहरी लोगों में भी इस तरह की असंगतता असामान्य नहीं है। हो सकता है कि वे तुरंत पुलिस स्टेशन जाने के बारे में न सोचें। एक अन्य संभावना यह है कि मुखबिरों के लिए पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की कमी है। तीसरा, जो काफी सामान्य है, यह है कि मृतक के रिश्तेदारों को आवश्यक जानकारी देने के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन जाने के लिए मन की शांति या गुस्से की एक निश्चित स्तर को फिर से प्राप्त करने में कुछ सहायनीय समय लग सकता है। एक और कारण यह है कि जिन व्यक्तियों से ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा की जाती है, वे शारीरिक रूप से इतने शारीरिक हो सकते हैं।

5 2001 (7) एस. सी. सी. 690

/

[2023] 14 एस सी आर।

उन्होंने कहा कि घटना के बारे में कुछ अस्पष्ट जानकारी मिलने पर पुलिस को उनसे संपर्क करना पड़ा।

15. हम ऐसे उदाहरणों की एक विस्तृत सूची प्रदान नहीं कर रहे हैं जो प्राथमिकी दर्ज करने में देरी का कारण बन सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह इंगित करने का प्रयास करना है कि आपराधिक अदालतों में केवल दर्ज करने में देरी के आधार पर दूषित प्राथमिकी को कानूनी परिणाम के रूप में अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, जहां एफ. आई. आर. बनाने में देरी होती है, न्यायालय को इसके कारणों को देखना होता है और यदि ऐसे कारण किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो एफ. आई. आर. दर्ज करने में केवल देरी के साथ कोई परिणाम नहीं जोड़ा जाएगा। (जहूर बनाम यू. पी. राज्य के माध्यम से [1991 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 372:1991 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 678], तारा सिंह बनाम पंजाब राज्य [1991 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 536:1991 एस. सी.

सी. (सी. आर. आई.) 710] और जमना बनाम यू. पी. राज्य [1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 185:1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.)] तारा सिंह में [1991 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 536:1991 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 710] न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं: (एस. सी. सी. पी. 541, पैरा 4) "4. यह अच्छी तरह से तय है कि एफ. आई. आर. देने में देरी अपने आप में अभियोजन मामले पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकती है। भारतीय परिस्थितियों को जानते हुए हम इन ग्रामीणों से घटना के तुरंत बाद पुलिस स्टेशन जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। मानव स्वभाव के अनुसार, घटना को देखने वाले रिश्तेदारों से पुलिस को रिपोर्ट देने में सभी त्वरितता के साथ यांत्रिक रूप से कार्य करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कभी-कभी आपदा के कारण दुखी होने पर हो सकता है कि उन्हें तुरंत यह महसूस न हो कि उन्हें एक रिपोर्ट देनी चाहिए। आखिरकार, इन परिस्थितियों में उनके लिए रिपोर्ट देने के लिए पुलिस स्टेशन जाने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है।"

12. वनों से भरी कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आइए हम इस बात की जांच करें कि क्या प्राथमिकी दर्ज करने में एक वर्ष से अधिक की देरी अभियोजन के मामले के लिए घातक थी या अभियोजन पक्ष ने उक्त देरी को पर्याप्त रूप से समझाया था?

13. रिकॉर्ड से पता चलता है कि मृतक बिसाहु सिंह पीडब्लू-2 गणेशी बाई के पति और पीडब्लू-3 अनीता पोर्टे के पिता थे। उन दोनों ने अपने-अपने साक्ष्य में बिसाहु सिंह की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताया था, जब वह सुबह 23.07.2003 पर उनके घर के बरामदे में लेटे हुए पाए गए थे। जैसा कि पीडब्लू-6 डॉ. भोजराज 223 ने कहा है।

हरिप्रसाद @किशन साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 224

हॉटचंदानी, 23.07.2003 पर 01.25 पी. एम. बिसाहु सिंह को सी. आई. एम. एस. अस्पताल, बिलासपुर लाया गया। पीडब्लू-8 डॉ. अनीता बाम्बेथवार के साक्ष्य के अनुसार, बिसाहु सिंह को इलाज के लिए उनके पास लाया गया था, हालांकि 23.07.2003 पर दोपहर 3:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। उक्त डॉ. अनीता ने कहा है कि उन्होंने एक्स के अनुसार पुलिस स्टेशन सिटी कोटवाली को मौत की जानकारी दी थी। पी/3। पीडब्लू-9 केदारनाथ कौशिक, जो सी. आई. एम. एस. अस्पताल, बिलासपुर में वार्ड बॉय थे, ने विलय की सूचना (पुलिस स्टेशन सिटी कोटवाली के समक्ष) दी थी और पीडब्लू-10 मंगल दास, जो सिटी कोटवाली, बिलासपुर में हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात थे, ने मृतक-बिसाहु सिंह के शव को ज्ञापन के साथ सी. आई. एम. एस. अस्पताल, बिलासपुर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पीडब्लू-14 बसंत कुमार सिंह, जो पुलिस स्टेशन सिटी कोटवाली, बिलासपुर में उप-निरीक्षक के रूप में तैनात थे, ने पूछताछ पंचनामे (एक्स. पी/9), और ज्ञापन (एक्स। के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पी/5 ए)।

14. सी. आई. एम. एस. अस्पताल, बिलासपुर में कार्यरत पी. डब्ल्यू.-18 डॉ. ए. के. शुक्ला ने लगभग 1 बजे पोस्टमार्टम किया था। 24.07.2003 पर। बिसाहु सिंह के शव की बाहरी और आंतरिक जांच करने के बाद, उन्होंने राय दी थी (उदा. पी/13) कि "विसरा की रासायनिक

जांच के बाद मृत्यु का कारण तय किया जा सकता है। मृत्यु के बाद का समय, लगभग 24 घंटे से कम। "

15. ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक के विसरा को पीडब्लू-18 द्वारा 24.07.2003 पर दो अलग-अलग डिब्बों में एकत्र और सील किया गया था और रासायनिक जांच के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ भेजा गया था, जिसे 18.09.2003 पर प्राप्त हुआ था। इसके बाद, वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यालय, एफ. एस. एल., रायपुर ने निम्नलिखित परीक्षण परिणाम प्रस्तुत किया, दिनांक 10.08.2004 (एक्स. पी/14):

परीक्षण परिणाम

“प्रदर्शनी ए और बी में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक और क्विनोल्फोस होते हैं।

प्रदर्शनी सी में कोई रासायनिक जहर नहीं होता है। "

16. वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यालय से पूर्व-उल्लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, पीडब्लू-15 श्याम कोरी, एस. एच. ओ. बिल्हा, जिला बिलासपुर ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ <आई. डी. 1 पर रतनपुर पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 175/04 के रूप में एफ. आई. आर. दर्ज की। वह.

/

[2023] 14 एस सी आर।

उसने अपने साक्ष्य में कहा है कि उक्त प्राथमिकी रतनपुर पुलिस स्टेशन में Cr.PC की धारा 174 के अंतर्गत मर्क नंबर 43/03 में जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर दर्ज की गई थी, और उसके बाद, उसने गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच पूरा होने पर पी. डब्ल्यू.-19 आई. एच. खान, एस. डी. ओ. (पी), बिलासपुर ने न्यायालय में आरोप पत्र का नेतृत्व किया। 17. अभिलेख पर पूर्व-वर्णित साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि हालाँकि अपीलार्थी के खिलाफ 22.07.2003 पर हुई घटना के संबंध में 03.11.2004 पर एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी, लेकिन बिसाहु सिंह की मृत्यु पर जांच का एक हिस्सा पहले ही शुरू हो चुका था और विलय सूचना सं.43/03.जाहिरा तौर पर, यह महसूस किया जा सकता है कि प्राथमिकी दर्ज करने में एक साल से अधिक की देरी हुई थी, हालाँकि उक्त एक साल के दौरान हुई परिस्थितियों की श्रृंखला से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतक को तुरंत सी. आई. एम. एस. अस्पताल, बिलासपुर ले जाया गया था। अगले ही दिन उनका पोस्टमॉर्टम किया गया और डॉ. ए. के. शुक्ला द्वारा एकत्र किए गए मृतक के विसरा के नमूनों को रासायनिक जांच के लिए एफ़. एस. एल., रायपुर में भेजा गया। एफ़एसएल रायपुर द्वारा एक साल बाद भेजी गई रासायनिक जांच की रिपोर्ट के कारण प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई। इस प्रकार, पूरी देरी के लिए एफ़एसएल, रायपुर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसने मृतक के विसरा की

रासायनिक जांच की रिपोर्ट देने में लगभग एक साल का समय लिया। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के खिलाफ बनाए गए झूठे संस्करण के मनगढ़ंत होने पर कोई आरोप नहीं है।

18. यह सच है कि मृतक की पत्नी, पीडब्लू-2 गणेशी बाई ने शुरू से ही आरोप लगाया था कि जब उनके पति बिसाहु सिंह को सुबह के समय आईडी1 पर उनके घर के बरामदे में पड़ा पाया गया था, तो उन्होंने अपनी बेटी पीडब्लू-2 अनीता पोर्टे, पीडब्लू-7 कोटवार भगवती और अन्य गवाहों की उपस्थिति में उन्हें बताया था कि अपीलकर्ता-आरोपी हरिप्रसाद ने उन्हें पिछले दिन शाम को अपने घर पर बुलाया था और शराब में जदी-बूटी मिला दी थी, और अपीलकर्ता ने उसे पीने के लिए मजबूर किया था, जिसके कारण बिसाहु सिंह की तबीयत बिगड़ गई थी, वह या कोई अन्य पड़ोसी/रिश्तेदार अपीलकर्ता-आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते थे। यह भी सच है कि जब बिसाहु सिंह को कथित रूप से जहर देने के इतिहास के साथ अस्पताल में भर्ती और इलाज किया गया था, और जब बाद में उसी दिन दोपहर 3:30 बजे उनका निधन हो गया, जो 225 था।

हरिप्रसाद @किशन साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 226

आवश्यक पोस्टमार्टम के लिए, पुलिस स्टेशन में संबंधित एस. एच. ओ. भी मार्ग नंबर के साथ मामला दर्ज करने के बजाय एफ. आई. आर. दर्ज कर सकता था। हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गई थी क्योंकि मृत्यु का कारण डॉक्टर द्वारा नहीं बताया गया था, जिसने पोस्टमार्टम किया था और रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट का इंतजार किया गया था, उचित और स्वीकार्य प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी गवाह या पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं करने या प्राथमिकी दर्ज करने में देरी करने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट मिलने पर ही 03.11.2004 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसलिए हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि एफ. आई. आर. केवल साक्ष्य का एक पुष्टिकारक टुकड़ा है और सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है, केवल एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी को अभियोजन के मामले के प्रतिकूल आधार नहीं माना जा सकता है।

19. यह हमें अगले मुद्दे पर ले जाता है कि क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित किया था कि मृतक की मृत्यु जहर देने के कारण हुई थी और यह प्रशासन अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा किया गया था।

20. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर गौर करने से पहले, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने 1984 में शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (उपरोक्त) मामले में, जिसका निर्णयों के आधार पर पालन किया गया है, कहा था कि जहर से हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित चार परिस्थितियों में साबित होना चाहिए:-

“(1) मृतक को जहर देने के लिए एक आरोपी का स्पष्ट उद्देश्य है,

(2) कहा जाता है कि मृतक की मृत्यु जहर देने से हुई थी, (3) कि आरोपी के पास जहर था, (4) कि उसे मृतक को जहर देने का अवसर मिला। "21. इसलिए, आइए देखें कि क्या अभियोजन पक्ष ने तत्काल मामले में उक्त चार परिस्थितियों को साबित किया था। जहाँ तक उद्देश्य भाग का संबंध है, अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए शायद ही कोई सबूत दिया गया है कि अपीलार्थी का मृतक को जहर देने का कोई उद्देश्य था। हालांकि, पीडब्लू-2 गणेशी बाई और पीडब्लू-3 उनकी बेटी अनीता ने कहा था कि आरोपी और मृतक के बीच कुछ भूमि विवाद चल रहा था, उनके नंगे बयान को छोड़कर कोई अन्य सबूत पेश नहीं किया गया था

/

[2023] 14 एस सी आर।

उस आरोप को साबित करने के लिए। इसके अलावा, अगर आरोपी और मृतक के बीच दुश्मनी होती, तो मृतक शराब पीने के लिए आरोपी के घर नहीं जाता।

22. दूसरी परिस्थिति कि मृतक की मौत जहर से हुई थी, भी अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं होती है। पीडब्लू-1 डॉ. सुदेश वर्मा, जिन्हें मृतक बिसाहु सिंह की पत्नी ने 23.07.2003 पर बरामदे में लेटे हुए पाए जाने पर बुलाया था, ने कहा था कि रोगी यानी बिसाहु सिंह मन की अर्ध-चेतन स्थिति में थे और ठीक से बोलने की स्थिति में नहीं थे। उसके मुँह से तेज़ आवाज़ और शराब की तेज़ बदबू आ रही थी। उनके अनुसार, बिसाहु सिंह ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ थोड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया था। मृतक बिसाहु सिंह की पत्नी पीडब्लू-2 गणेशी बाई ने बताया था कि आईडी1 की शाम को उनके पति बिसाहु जंगल में जंगल लाने गए थे, लेकिन वह रात में वापस नहीं आए। अगले दिन सुबह 7 बजे उसने देखा कि बिसाहु बरामदे में सो रहा था और उसकी गर्दन से कुछ घरघराहट आ रही थी। उन्होंने और उनकी बेटी अनीता बाई ने उन्हें जगाने की कोशिश की लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। उन्होंने कोटवार को बुलाने के लिए धीमी आवाज़ में बात की। कोटवार के आने पर उसके पति ने बताया कि हरि राम ने उसे दो गिलास शराब दी थी, और फिर उसने तीसरे गिलास में कुछ मिलाया। उसने उन्हें आगे बताया कि उसके पूछने पर, हरि राम ने उसे बताया कि वह शराब के उत्सर्जन को कम करने के लिए दवा मिला रहा था। पीडब्लू-3 मृतक की बेटी सुश्री अनीता पोर्टे ने भी वही बयान दिया जो उनकी मां ने दिया था। पीडब्लू-7, कोटवार भगवती ने भी पीडब्लू-2 गणेशी बाई के संस्करण का समर्थन किया। इसी तरह, पीडब्लू-4 सुश्री सुकवारा बाई, पीडब्लू-5 राजेश कुमार, मृतक के छोटे भाई ने भी वही बात कही जो पीडब्लू-2 और अन्य लोगों ने कही थी।

23. उक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि सभी गवाहों ने एक ही कहानी सुनाई है, लेकिन किसी भी गवाह को कथित घटना के बारे में और बिसाहु सिंह की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। यहां तक

कि अगर मृतक की पत्नी, उसकी बेटी, उसके भाई, कोटवार और अन्य लोगों के सामने मृतक के उक्त संस्करण को उसकी मृत्यु घोषणा के रूप में माना जाता है, तो भी आरोपी को इतने कमजोर सबूत के आधार पर दोषी ठहराना बहुत जोखिम भरा होगा।

24. स्थापित विधि के अनुसार, हालांकि मरने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान को सुनने के नियम के लिए अपवाद बनाया गया है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत साक्ष्य में स्वीकार्य बनाया गया है, लेकिन यह 227 नहीं होगा।

हरिप्रसाद @किशन साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 228

केवल इस तरह की मृत्यु घोषणा पर भरोसा करते हुए, विश्वास को आधार बनाने के लिए विवेकपूर्ण रहें। तत्काल मामले में, भले ही मृतक की उस तथाकथित मृत्यु घोषणा पर विश्वास किया जाए, कम से कम यह कहा जा सकता है कि मृतक ने 22.07.2003 पर हरि राम और अन्य लोगों के साथ शराब का सेवन किया था, और शराब के तीसरे गिलास में, हरि राम ने कुछ जड़ी-बूटियों को मिलाया था, और मृतक को पीने के लिए कहा था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि हरि राम द्वारा कथित रूप से किस प्रकार की जड़ी बूटी मिलाई गई थी, और क्या ऐसी जड़ी बूटी जहरीली थी या नहीं। पीडब्लू-18 डॉ. ए. के. शुक्ला जिन्होंने 24.07.2003 पर मृतक का पोस्टमार्टम किया, उन्होंने भी मृत्यु के कारण पर कोई राय नहीं दी थी। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Ex. पी/13) कि संरक्षित भागों की रासायनिक जांच प्राप्त होने के बाद ही मृत्यु का कारण तय किया जा सकता है। एफ. एस. एल. रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यालय की रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट (पूर्व। पी/14) ने कहा कि मृतक के विसरा में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक और क्विनोल्फोस थे। रासायनिक परीक्षक की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, जांच अधिकारी मृतक की मृत्यु के वास्तविक कारण के बारे में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर या किसी अन्य डॉक्टर से कोई राय प्राप्त करने में विफल रहे थे। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक और क्विनोल्फोस के साथ शराब के मिश्रण के प्रभाव के बारे में सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, जो मृतक के विसरा में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। इन परिस्थितियों अंतर्गत, न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष निर्णायक रूप से यह साबित करने अंतर्गत विफल रहा कि मृतक के विसरा अंतर्गत पाए गए पदार्थ जहरीले थे और मृतक की मृत्यु का अंतिम कारण मृतक को जहर देना था। हालांकि यह आम जानकारी की बात हो सकती है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक और क्विनोल्फोस को जहरीले पदार्थ माना जाता है, फिर भी न्यायालय को व्यक्तिगत जानकारी का आरोप लगाने और यह निष्कर्ष निकालने में घृणा होगी कि मृतक के विसरा में पाए गए ऐसे जहरीले पदार्थ मृतक की मृत्यु का कारण थे, विशेष रूप से जब रासायनिक विश्लेषक की उक्त राय मृतक के विसरा को एफएसएल, रायपुर भेजने के एक साल से अधिक समय बाद प्राप्त हुई थी। किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से प्राप्त वास्तविक राय के अभाव में, मौत के कारण के रूप में रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट पर, यह नहीं कहा जा सकता था कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित

किया था कि मृतक की मौत का कारण जहर देना था।²⁵ यदि पीडब्लू-2 गणेशी बाई और अन्य के बयानों पर विश्वास किया जाए, जो 23.07.2003 पर सुबह के समय मृतक के घर पर मौजूद थे, तो यह माना जा सकता है कि मृतक बिसाहु सिंह ने उन्हें बताया था

/

[2023] 14 एस सी आर।

कि अपीलार्थी हरि प्रसाद ने उससे दो गिलास शराब पिलाई थी और तीसरे गिलास में उसने शराब के मल को कम करने के लिए कुछ जदी-बूटी यानी जड़ी-बूटियों को मिलाया था, हालाँकि अभियोजन पक्ष यह दर्ज करने में विफल रहा था कि शराब में कौन सी जदी-बूटी मिली थी और यह दिखाने में विफल रहा था कि उक्त जदी-बूटी या जड़ी-बूटी जहरीली थी या नहीं। बेशक, चूंकि कथित घटना के एक साल बाद जांच शुरू हुई थी, इसलिए आरोपी के घर से ऐसी कोई जदी-बूटी या पदार्थ मिलने की कोई संभावना नहीं थी। अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लू-12 सहायक उप निरीक्षक, रामा प्रताप सिंह से पूछताछ करके एक हल्का प्रयास किया गया था, जिन्होंने कहा था कि ज्ञापन (एक्स। पी/7), क्या जदी-बूटी में ऑर्गेनोफॉस्फोरस किनोल्फोस होगा, हालाँकि उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट सी. आई. एम. एस., बिलासपुर से प्राप्त हुई थी या नहीं। पीडब्लू-18 डॉ. ए. के. शुक्ला ने अपने साक्ष्य में कहा था कि संबंधित एस. एच. ओ. द्वारा एक कीटनाशक-किनोल्फोस, जो हिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित है, G.I.D.C. एस. इंडिया लिमिटेड मुंबई द्वारा विपणन किए गए भरूच, गुजरात पर जांच की गई थी कि क्या इस तरह के कीटनाशक जदी-बूटी में पाए गए थे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि ऐसा जहर जड़ी-बूटियों में निहित होगा या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि ऐसी जड़ी-बूटियों को किसी भी घोल में मिलाने से किनोल्फोस हो सकता है या नहीं।²⁶ इस तरह के कम सबूतों को ध्यान में रखते हुए, यह मानना मुश्किल है कि अभियोजन पक्ष ने जहर देकर हत्या के आरोप के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को साबित कर दिया था, अर्थात् (1) आरोपी का स्पष्ट उद्देश्य मृतक को जहर देना था; (2) मृतक की मौत जहर देने से हुई थी; (3) आरोपी के पास जहर था और (4) आरोपी को मृतक को जहर देने का अवसर मिला था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट (उदा. पी/14) हालाँकि साक्ष्य का एक दोषपूर्ण टुकड़ा था, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता धारा 313 के अंतर्गत उसकी जांच के दौरान अपीलार्थी के ध्यान में नहीं लाया गया था। इन सभी परिस्थितियों को मिलाकर, अभियोजन के मामले को बहुत कमजोर बना दिया है।

27. यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय को साक्ष्य की पुनः सराहना करने और नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निर्णयों को बाधित करने में धीमी गति से काम करना चाहिए, विशेष रूप से अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, हालाँकि अधिकार क्षेत्र का ऐसा प्रयोग निषिद्ध नहीं है, जब न्यायालय यह मानता है कि इस तरह के निर्णय पूर्व-प्रत्यक्ष रूप से अवैध हैं।

हरिप्रसाद @किशन साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

28. मामले के उस दृष्टिकोण में, निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए आदेश, जिन्हें उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि के लिए स्वीकार किया है, खारिज किए जाने के योग्य हैं और अपीलार्थी को निशुल्क किया जाना चाहिए। निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। चूंकि अपीलार्थी जमानत पर है, इसलिए उसके जमानत बांड तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे।

29. अपील को तदनुसार अनुज्ञात जाती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील अनुज्ञात ।

दिव्या पांडे